दिनांक 19 अक्तूबर, 1981

क्रमांक 1936-ज(I)-81/37257.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुलतान सिंह, पुत्र श्री कन्हू भागव, गांव बुघवां, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 21 अक्तूबर, 1981

क्रमांक 1903-ज(I)-31/37661.—श्री बुला राम, पुत्र श्री देवी सहाय, गांव बवानिया, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को दिनांक 16 अगस्त, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बुला राम को मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3945 जे०एन०-III-66/4993, दिनांक 28 मार्च, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती जै देवी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 अक्तूबर, 1981

क्रमांक 1926-ज(II)-81/37674.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री तारा चन्द, पुत्र श्री मौजी राम, गांव रुखी, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, को रबी, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 2 नवम्बर, 1981

क्रमांक 1842-ज(I)-81/38740.—पूर्वी पंजाब युद्ध जागीर पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भागीरथ सिंह, पुत्र श्री जयदयाल सिंह गांव बलवाड़ी तह. रिवाड़ी जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ 75 से खरीफ 79 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 80 से 300 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2017-ज(I)-81/38759.—श्री भोला राम, पुत्र श्री तिलोक राम गांव ढाणी फोगाट तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 19 जुलाई, 1979 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भोला राम को मुब्लिग 150 रुपए वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3834-जे-एन-III-66/6507, दिनांक 16 अप्रैल, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 70 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति हीरा देवी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 18 नवम्बर, 1981

क्रमांक 2139-ज(I)-81/40839.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बिशनाराम, पुत्र श्री बेगराज गांव पहाड़ी तहसील लोहारु जिला भिवानी को रबी 73 से खरीफ 79 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी 80 से 300 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 19 नवम्बर, 1981

क्रमांक 2190-ज(II)-81/41006.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री लखमी चन्द, पुत्र श्री मौजी गांव, बिधलान, तहसील व जिला सोनीपत को रबी, 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।—

देस राज सतीजा,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

2758CS (H)—Govt. Press, Chd.